



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर दुष्कर्म के अभियोग में अभियुक्त को 14 वर्ष का सश्रम कारावास व 52,000/- रुपये के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना ललपुरा में पंजीकृत मु0अ0सं0-08/2022 धारा-376,506 भा0द0सं0 में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय जिला/सत्र न्यायाधीश जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त अटल सिंह पुत्र महेन्द्रवीर सिंह निवासी ग्राम उजनेड़ी थाना ललपुरा जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए 14 वर्ष का सश्रम कारावास व ₹52,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-
डीजीसी राजेश कुमार
शुक्ला



विवेचक-
निरी0 श्रीप्रकाश
यादव



पैरोकार- थाना ललपुरा
का0 संजीत कुमार